# मध्य प्रदेश शासन
# गृह विभाग,
# मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

## //आदेश//

भोपाल, दिनांक जून, 2026

क्रमांक/एफ 1/1/1/0968/2025/बी-4/दो- राज्य शासन एतद् द्वारामध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर द्वारा आयोजित ''राज्य सेवा परीक्षा 2023'' के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परिणाम के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिये मुख्य सूची से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर मध्य प्रदेश राज्य पुलिस सेवा में कनिष्ठ श्रेणी वेतनमान रूपये- 15600-39100 + ग्रेड पे 5400/- (पे मेट्रिक्स लेवल 12) में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर अस्थायी रूप से प्रावधिक आधार पर नियुक्त करते हुए पुलिस मुख्यालय में आदेश में उल्लेखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए परिवीक्षाधीन उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है:-

| स.क्र. | लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मेरिट सूची का क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | पता |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | 7 | श्री विवेक अग्रवाल | वार्ड क्र. 03 सुभाषचंद्र बोस, राहतगढ़, सागर, म0प्र0 पिन कोड 470119 |
| 2. | 17 | श्री गोविंद सिंह सोलंकी | एस.एल.पी. कॉलेज के पास लोचननगर, मुरार, ग्वालियर, म0प्र0 पिन कोड 474006 |
| 3. | 18 | सुश्री मोनिका धाकड़ | पहारूआ, तहसील आरोन, पसेस्त रामपुर 473101 जिला- गुना म0प्र0 |
| 4. | 20 | सुश्री शिवानी राय | तालाब के पास ग्राम करैया जागीर,पंचायत करैया जागीर,पोस्ट ऊहर, तहसील गंजवासौदा, जिला विदिशा म0प्र0 पिन कोड 464221 |
| 5. | 23 | सुश्री स्वाति सिंह बघेल | ग्राम झिन्ना, मर्यादपुर, तहसील रामनगर, जिला मैहर म0प्र0 पिन कोड 485771 |
| 6. | 25 | सुश्री मुस्कान सोनी | म.क्र. 149, बहेटा गॉव, संत हिरदाराम नगर, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पिन कोड 462030 |
| 7. | 27 | सुश्री पूजा | म.क्र. 167, वार्ड नं. 7, तहसील जीरन, ग्राम- हरवार, जिला- नीमच, म0प्र0 पिन कोड 458336 |

| स.क्र. | लोक सेवा आयोग द्वारा अनुशंसित मेरिट सूची का क्रमांक | अभ्यर्थी का नाम | पता |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 8. | 31 | श्री शैलेष मिश्रा | शिकंठनगर (टेकुआ), वार्ड क्र. 02, जिला-रीवा, म0प्र0 पिन कोड 486001 |
| 9. | 32 | श्री विवेक सिंह दांगी | ग्राम उरदोना, पोस्ट- बरोदिया, नौनगर, तहसील-खुरई, जिला सागर म0प्र0 पिनकोड 470117 |
| 10. | 35 | सुश्री मयंका चौरसिया | चौरसिया महोल्ला, वार्ड क्र. 07, लवकुश नगर, जिला छतरपुर, म0प्र0 पिनकोड 471515 |
| 11. | 182 | सुश्री दीपिका नकवाल | वार्ड क्र. 09, सुजालपुर रोड, काछी महौल्ला, पुरानी पचोर, ग्राम पचोर, जिला राजगढ़, म0प्र0 पिनकोड 465683 |
| 12. | 188 | सुश्री नेहा प्रजापति | जवाहर नगर गली नं. 7, कुम्हरान महौल्ला, जिला- सतना, म0प्र0 पिनकोड 485001 |
| 13. | 220 | सुश्री दिप्ती कतरोलिया | ए-80 अंसल टाउनशिप तलाबली चांदा, इंदौर, म0प्र0 पिनकोड ,452010 |
| 14. | 369 | सुश्री सोनू कनेश | ग्राम रामसिंह की चोकी, नियर राही पेट्रोल पम्प, झाबुआ रोड, अलीराजपुर म0प्र0 पिनकोड 457887 |
| 15. | 370 | श्री राहुल मंडलोई | 55-अ सतपुड़ा कॉलोनी, बड़वानी, म0प्र0 पिनकोड 451551 |
| 16. | 405 | सुश्री नीतू मंडलोई | 17/13, डीआरपी लाईन के पीछे, माधोपुरा, झाबुआ, म0प्र0 पिनकोड 457661 |
| 17. | 417 | सुश्री शीजल विजयपाल | 19 मैरीगोल्ड, चौहान ग्रीन वैली, जुनवानी, ग्राम भिलाई, जिला दुर्ग, राज्य छत्तीसगढ़ पिनकोड 490020 |

2/ नवनियुक्त अधिकारी दिनांक 06 जुलाई, 2026 को म0प्र0 शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल में कार्यभार ग्रहण करने हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चत करें। 06 जुलाई, 2026 के उपरांत कार्यभार ग्रहण न करने अथवा प्रशिक्षण में उपस्थित न होने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त माना जायेगा।

3/ उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में सयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम, आर.सी.वी.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवाए समाप्त की जा सकेगी।

4/ नवनियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम-1961 एवं मध्य प्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा

पदोन्नति नियम-2000 से शासित होंगी। सेवा संबंधी अन्य विषय शासन के वर्तमान नियमों तथाभविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अंतर्गत निराकृत किये जायेंगे।

5/ नवनियुक्त अधिकारियों की सेवाऍं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती हैं। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्यागपत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व बकाया के तौर पर संबंधित अधिकारियों से वसूल की जावेगी।

6/ राज्य शासन के अधीन दिनांक 01.01.2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7/ नवनियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने की स्थिति में उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के एकपक्षीय कार्यवाही कर तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी एवं उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होगा।

8/ परीवीक्षाधीन अधिकारियों द्वारा पदस्थापना कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करते समय एक ''बाण्ड'' शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि ''परीवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होगी, की वापसी के लिये वे उत्तरदायी होंगे''।

9/ नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में सेवारत है, उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र, अजॉच एवं अमांग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उन्हें कार्य भारग्रहण नहीं कराया जाएगा।

10/ प्रमाणित किया जाता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक सन 1994) उपबंधो का ओर उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये अनुदेश का अनुपालन किया गया है तथा उसे (नियोक्ता को) उक्त अधिनियम की धारा-6, की उप धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान है।

11/ यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित याचिकाओं (एल.एल.पी. क्रमांक 8764/2023, एल.एल.पी. क्रमांक 12398/2023 एवं माननीय उच्च न्यायालय में लंबित याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी 12195/2024, डब्ल्यू.पी. क्रमांक 6040/2024, डब्ल्यू.पी. क्रमांक 6210/2024, डब्लयू.पी. क्रमांक 6337/2024, डब्लयू.पी. क्रमांक 9156/2024) एवं अन्य समान याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रहेंगी।

**मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से**
**तथा आदेशानुसार**
**ई-हस्ताक्षर**
**(अन्नू भलावी)**
**अवर सचिव**
**म0प्र0 शासन, गृह विभाग**

पृ0 क्रमांक:एफ 1/1/1/0968/2025/बी-4/दो, भोपाल,दिनांक जून, 2026

**प्रतिलिपि- सर्व संबंधितों की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-**

1. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मान 0 भारसाधक मंत्रीजी, गृह विभाग, म 0 प्र 0 भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, म 0 प्र 0 शासन, गृह विभाग, म 0 प्र 0 भोपाल।
3. महालेखाकार, म 0 प्र 0 ग्वालियर।
4. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मुख्यालय, म 0 प्र 0 भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देशानुसार अनुरोध है कि चयनित उम्मिदवारों को कार्य भार ग्रहण कराने के पूर्व उनके मूल नियुक्ति आदेश, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र संबंधी मूल अभिलेख एवं शारीरिक मापदण्डों की जाँच पुन: कर ली जाये तथा पूर्णत: संतुष्ट होने पर ही कार्य भारग्रहण कराया जाये। नवनियुक्त अधिकारी जो पूर्व से शासकीय/अर्द्धशासकीय सेवा में हो, उनके नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र, अजॉच एवं अमांग पत्र भी प्राप्त कर कार्य भार ग्रहण करावे तथा कार्य भार ग्रहण करने की सूचना भिजवाये। यह भी निर्देशित किया जाता है कि नवनियुक्त उप पुलिस अधीक्षक को मध्य प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भौंरी, भोपाल में आयोजित प्रशिक्षण में भाग लेने के लिये उपस्थित होने हेतु अनिवार्य रूप से कार्य मुक्त करें। प्रशिक्षण के दौरान अधिकारीगण अपने साथ परिवार नहीं रख सकेगें। केवल अधिकारी ही अकादमी में रहेंगे।
5. अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (प्रशासन/प्रशिक्षण), पुलिस मुख्यालय, म 0 प्र 0 भोपाल।
6. सचिव, म 0 प्र 0 लोक सेवा आयोग इंदौर की ओर उनके पत्र क्रमांक 7991/11/2025/चयन, इंदौर, दिनांक 22.08.2025 के संदर्भ में सूचनार्थ।
7. निदेशक, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, म 0 प्र 0 सागर
8. उप नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल की ओर आगामी राजपत्र के अंक में प्रकाशित करने हेतु अग्रेषित।
9. संबंधित अधिकारी श्री/श्रीमती/सुश्री.................................................................. की ओर प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे शैक्षणिक योग्यता एवं जाति प्रमाण पत्रों की मूल प्रतियों एवं पूर्व नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अथवा त्याग पत्र की स्वीकृति अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें, अन्यथा की स्थिति में नियुक्ति आदेश के पालन में कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जायेगा।
10. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क मंत्रालय, भोपाल।
11. स्थापना पटल/स्टाक फाईल।

Digitally signed by
Annu Bhalavi
Date: 22-06-2026
17:42:56

**अवर सचिव**
**म 0 प्र 0 शासन, गृह विभाग**